तटीय नौवहन का विकास

\*701. श्री जगन्नाय राव जोशी : श्रीक्रजभूषणलाल:

Answers

श्री ग्रटल बिहारी बाजपेयी: श्री सूरज भान:

क्या **नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या तटीय नौवहन के विकास के लिये राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने कोई योजना प्रस्तुत की है,
  - (ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है, श्रौर
- (ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य ग्रौर नौबहन तथा परिवहन मंत्रो (श्रो रघु रामैया) : (क) ग्रौर (ख) . तटीय नौबहन के विकास के लिए राष्ट्रीय नौबहन बोर्ड द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें नीचे दी जा रही हैं :

- (1) दोनों भ्रोर संतुलित यातायात की व्यवस्था करने के लिए रेलवे की वहन क्षमता में घट-बढ़ स्रथवा ग्रन्य बातों का विचार किये बिना, तटीय नौवहन द्वारा दीर्घकालिक श्राधार पर कलकत्ता से दक्षिणी और पश्चिमी पत्तनों तक लेजाने के लिये 7.5 लाख टन कोयले का सुनिश्चियन होना चाहिए।
- (2) यदि (1) पर की सिफारिश स्वीकार की जाय तो भ्रनुमानित कुल यातायात उपलब्ध होगा उसकी पूर्ति के लिये तटीय बेड़े में प्रत्येक 14000 डी० डब्ल्यू० टी० के 18 नये सूखे-माल की वृद्धि की जानी चाहिए।
- (3) पौतमालिकों के प्रभ्यावेदनों पर भाड़ा वृद्धि के लिए तदर्थ भीर विलम्बित मंजूरी देने के बजाय तटीय भाड़े के भावधिक पुनर्विचार

तथा समायोजन की कोई समृचित प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए ।

(ग) (3) पर की सिफारिण पहले ही मंजूर कर ली गयी है और संशोधित प्रिक्रिया के अनुसार मौजूदा भाड़ा दरों में कुछ वृद्धि प्रदान करने का प्रश्न पहले ही सरकार के विचाराधीन है। जहां तक (1) पर की सिफारिण का प्रश्न है, रेल मंत्रालय तटीय नौवहन के लिए मार्च 1972 के उपरान्त कोयले की किसी मात्रा की गारंटी देना संभव नहीं पाया गया है। ग्रतः ग्रंतिम निर्णय लेने से पूर्व इस मामले की ग्रागे परीक्षा की जा रही है। (2) पर की सिफारिण (1) पर की सिफारिण पर निर्णय करती है।

## Anti-National Activities of Foreign Missionaries

\*702. SHRI HIMASSINGKA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government's attention has been drawn to press reports that foreign missionaries are carrying on anti-Indian activities in many parts of the country.
- (b) if so, the total number of foreign missionaries at present in the country and what are their normal activities here; and
- (c) the steps which have been taken to expel from the country those foreign missionaries who are found engaged in anti-Indian activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Government have no such information.

(b) According to the information available, the total number of registered foreign and Commonwealth missionaries in India as on 1-1-69 was 3,663 and 2,663 respectively. They are engaged in medical, educational, social and general missionary work.

(c) whenever an individual foreign missionary has come to the notice for undesirable activities, he has been asked to leave the country. Where there has been a violation of any law suitable action has been taken under the provisions of that law.

नवस्बर, 1969 में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित श्रादिम जातियों का प्रतिनिधित्व

\*703. श्री राम चरण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् की 3 और 4 नवम्बर, 1969 को दिल्ली में हुई बैठक में अनुसूचित जानियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कोई प्रतिनिधि नहीं था ;
  - (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;
- (ग) क्या यह भी सच है कि उक्त बैठक के समय कुछ हरिजन संगठनों ने बैठक में श्रपने प्रतिनिधित्व की मांग की थी ; श्रौर
- (घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) ग्रीर (ख) इन तारीखों को राष्ट्रीय एकता परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई । किन्तु साम्प्रदायिक हिंसा के विरुद्ध सभी राजनीतिक दलों द्वारा संयुक्त मामूहिक ग्रीभयान के लिए निष्चित उपायों का निर्णय करने के लिए म्थायी समिति के 16 अक्टूबर, 1969 के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा 3 ग्रीर 4 नवम्बर, 1969 को एक सर्वदलीय सम्मेलन ग्रायो-जित किया गया। ग्रतः उसके उद्देश्यों के ग्रनूष्य सम्मेलन में ग्रीमन्तित व्यक्तियों का दो संगठनों

को छोड़कर, निर्वाचन क्रायोग द्वारा राज्य क्रथवा राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दिये गये दलों तक सीमित, मुस्लिम समुदाय के दिष्टिकोंण को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए चयन किया गया था ।

- (ग) यद्यपि सम्मेलन की मांगों का कोई ग्रापचारिक मांग-पत्र पेश नही किया था तथापि एक हलका प्रदर्शन किया गया था।
- (घ) सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा जारी किये गये बयान की एक प्रति सदन के सभा पटल पर रखी गयी है। [प्रन्थालय में रखा गया। देखियें संख्या LT 2431/69]

## Setting up of a Police Commission to Modernise Police Force.

\*704. SHRI LOBO PRABHU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether in view of the last Police Commission having been set up 67 years ago. Government propose to set up a Police Commission to modernise the police force, in all the States, as it is proposed to do in Tamil Nadu;
- (b) whether the Commission would consider the minimum qualification of High School for constables and a salary accordingly related, from savings which could be anticipated by reduction in numbers; and
- (c) since the Centre is reported to be sharing in the cost of modernisation in Tamil Nadu, the reasons why it will not do so in all States at least in respect of providing vehicles, including loans and grants for motor cycles to Station House Officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b). Since police is a State subject, the respective State Governments consider the need and, if necessary, take steps to set up Police Commissions for going into matters relating to their police.